

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा  
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)  
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

बनाम ~~शुभमसिंह पुत्र श्री वीरसिंह~~ वीरसिंह पुत्र मजूर जाति जाट  
~~जाति जाट निवासी जोगी~~ निवासी जोगी गाँव

दावा बाबत :- 88 RTA 84

मुकदमा नम्बर :- 115/21

निर्णय दिनांक :- 26.11.21


वादी की ओर से वकील ~~श्वेतराज इस्टा~~ की व प्रतिवादीगण की ओर से  
वकील ~~जामर देहडू~~ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.11.21 को

मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर  
आदेश दिया जाता है कि

~~श्री गीता जोगी के स्वामित्व म० 86/82 के मु० न० 21, 23  
पत्र, 48, 49, 57, 58, 59, 78, की कुल 15.7490 हे० क्षत्रि भूमि  
में प्रतिवादी म० 1 के नाम 113 हे० सा राजस्व रिजिस्ट्र में दर्ज है उक्त  
वास्तु भूमि में प्रतिमण वीरसिंह की वजाय वादी व प्रतिवादी  
म० 1 का 2 वरिष्ठा वरान्त के अनुसार लगे हुए कररूप  
घोषित किए जाते हैं उक्ति प्रतिवादी म० उक्त पत्रों अपना  
दृष्टि रिजिस्ट्र संपत्ति रिजिस्ट्र में वादी व प्रति म० 1-2 के  
पत्र में लगे हुए कर शुन कर विषय में समस्त लगे हुए  
जपे रिजिस्ट्र पर पंजीपत्र शुरू अथवा कर व क्षत्रि भूमि बैर  
रखे हे तो रखे अथवा उक्ति के बाद उपरोक्तानुसार राजस्व  
रिजिस्ट्र में अंकन कर रिजिस्ट्र शुरू किया जावे।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
श्रीमति शकुन्तला चौधरी  
( आर० ए० एस० )  
उपखण्ड अधिकारी भादरा  
हनुमागढ़